उत्तर प्रदेश शासन

राज्य योजना आयोग-2

(नियोजन विभाग)

संख्या: 27/2016/(576 /16)1/7 /35-आ- 2/2001-25

लखनऊ: दिनांक: 19 मई , 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमानों के सम्बन्ध में गठित वेतन समिति (2008)) की समाप्ति के पश्चात भी वेतन समिति की संस्तुतियों के लागू होने के लम्बित प्रकरण तथा अन्य विभागों द्वारा वित्त विभाग को सन्दर्भित समस्याओं/विसंगतियों के सम्बन्ध में विचार कर संस्तति देने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 13/2016/वे.आ.-2-202/दस-2016-8 (मु.स.स.)/2011 टी. सी. दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य योजना आयोग के लिपिकीय संवर्ग तथा आशुलिपिक संवर्ग का पुनर्गठित ढांचा (पदनाम,वेतनमानतथा अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया सचिवालय से इतर विभागों के अनुसार अथवा सचिवालय से समानता के आधार पर निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति द्वारा पदों की संख्या, शैक्षिक अर्हता, भर्ती की विधि तथा वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)) जिसका उल्लेख निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार पुनर्गठित ढांचा (पदनाम, पदों की संख्या, शैक्षिक अर्हता, भर्ती की विधि तथा वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन वेतनमान) इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से राज्यपाल महोदय प्रतिस्थापित किय जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

राज्य योजना आयोग में लिपिक एवं आशुलिपिक संवर्ग के पुनर्गठित ढांचे का विवरण

लिपिक संवर्ग

वर्तमान ढांचा			पुनर्गठित ढांचा	
क्र. सं.	पदनाम/पद संख्या पूर्व वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू. में)	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया	पदनाम/पद संख्या (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू. में)	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	अनु सचिव/01 पद 10000-15200 (वेतन वेण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन-6600/-)	नियमावली प्रख्यापन की कार्यवाही व्यवहृत है।	अनु सचिव/01 पद (वेतन वेण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन-6600/-)	प्रस्तावित सेवा नियमावली के अनुसार
2	अनुभाग अधिकारी /02 पद 6500-10500 (वेतन वेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन-4600)	मौलिक रूप से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक की प्रोन्नति द्वारा	अनुभाग अधिकारी /02 पद (वेतन वेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन-4800/-	मौलिक रूप से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक से प्रोन्नति द्वारा

http://snasanadesh.up.nic.in

3	प्रवर वर्ग सहायक/09 पद 5500-9000 (वेतन वेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन-4200)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती, अर्हता-स्नातक 50 प्रतिशत पदोन्नति मौलिक रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायक	प्रवर वर्ग सहायक/06 पद वेतन वैण्ड- 2 एवं 4600	मौलिक रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायक(वरिष्ठ वेतनमान) से प्रोन्नति द्वारा
4	-	-	अवर वर्ग सहायक (वरिष्ठ वेतनमान)/08 पद वेतन वैण्ड-2 एवं 4200/-	50 प्रतिशत सीधी भर्ती, अर्हता-स्नातक 50 प्रतिशत पदोन्नति मौलिक रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायक (कनिष्ठ वेतनमान) से।
5	अवर वर्ग सहायक/09 4500-7000 (वेतन वेण्ड-1 एवं 2800/-)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती, अर्हता-स्नातक 50 प्रतिशत मौलिक रूप से कार्यरत टंककों की प्रोन्नति द्वारा	अवर वर्ग सहायक(कनिष्ठ वेतनमान)/05 पद वेतन वेण्ड-1 एवं 2800/-)	मौलिक रूप से कार्यरत कनिष्ठ सहायकों से प्रोन्नति द्वारा
6	टंकक/11 पद 3050-4590 (वेतन वेण्ड-1 एवं 1900/-)	भर्ती की अर्हता इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा हिन्दी टंकण में 25 शव्द प्रति मिनट की गति	कनिष्ठ सहायक/10 पद (वेतन वेण्ड-1 एवं 2000/-)	भर्ती की अर्हता- 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती । (1) इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (डी.ओ.ए.सी.सी)सोसाइटी द्वारा पदत्त सी.सी.सी. प्रमाण पत्र पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमश: 25/30 शव्द प्रति मिनट की टंकण गति (2) राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिक से पदोन्नति जो हाई स्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो इण्टरमीडिटए हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
	कुल पद संख्या- 32		कुल पद संख्या- 32	

http:///shasanadesh.up.nic.in

आशुलिपिक निजी सचिव संवर्ग

वर्तमान व्यवस्था			प्रस्तावित व्यवस्था	
क्र	पदनाम/पद संख्या पूर्व वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू. में)	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया	पदनाम/पद संख्या (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू. में)	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	निजी सचिव, विशेष वेतनमान /01 पद 12000-16500 (वेतन वेण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन-7600/-)	-	निजी सचिव, विशेष वेतनमान /01 पद 12000-16500 (वेतन वेण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन-7600/-)	मौलिक रूप से कार्यरत निजी सचिव ग्रेड-1 (वरिष्ठ वेतनमान) से पदोन्नति द्वारा।
2	निजी सचिव, ग्रेड-1 /02 पद 10,000-15,200 (वेतन वेण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन-6600/-)	-	निजी सचिव,ग्रेड-1 (वरिष्ठ वेतनमान)/02 पद वेतन वेण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन-6600/-)	मौलिक रूप से कार्यरत निजी सचिव से पदोन्नति द्वारा।
3	-	-	निजी सचिव/02 पद वेतन वैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन-5400/-)	मौलिक रूप से कार्यरत निजी सचिव ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा।
4	-	-	निजी सचिव ग्रेड-1 /02 पद वेतन वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन-4800/-)	मौलिक रूप से कार्यरत निजी सचिव ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा।
5	निजी सचिव, ग्रेड-2 /03 पद 6500-10500 (वेतन वेण्ड-2 एवं 4600)	मौलिक रूप से कार्यरत वैयक्तिक सहायक से पदोन्नति द्वारा	निजी सचिव ग्रेड-2 /03 पद वेतन वैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन-4600/-)	मौलिक रूप से कार्यरत वैयक्तिक सहायक से प्रोन्नति द्वारा
6	वैयक्तिक सहायक /09 पद 5500-9000 (वेतन वेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200)	60 प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता- इण्ट/ हिन्दी आशुलेखन में 80 तथा टंकण में 35 श.प्र. मि.। 40 प्रतिशत पर अशुलिपिक से पदोन्नति द्वारा ।	वैयक्तिक सहायक /05 पद वेतन वेण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200	मौलिक रूप से कार्यरत आशुलिपिक से प्रोन्नति द्वारा ।
7	आशुलिपिक /04 पद 4500-7000 (वेतन वेण्ड-	50 प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता- इण्टमीडिएट /	आशुलिपिक/04 पद वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य

http://shasanadesh.up.nic.in

	1 एवं ग्रेड वेतन 2800)	समकक्ष तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट 50 प्रतिशत पदोन्नति - 05 वर्ष की सेवा वाले ऐसे टंकक जो आशुलिपिक की सीधी भर्ती की अर्हता रखते हों, के द्वारा	2800	उत्तीर्ण की हों। 2. हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमश: 80 शव्द प्रति मिनट और 25 शव्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। 3. डी.ओ.ए.सी.सी. सोसाइटी द्वारा संचालित सी.सी.सी. पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो।
	कुल पदो की संख्या- 19		कुल पदों की संख्या- 19	

2. उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- वे.आ.-2 2 841/ दस-2009-59 (एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या- वे.आ.-2-577/ दस-59 (एम)/2008 टी.सी. दिनांक 29 जून, 2010 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर किया जायेगा।

3. किसी पद पर नियुक्ति/ प्रोन्नति पद से संगत सेवा नियमावली में किये गये प्राविधानानुसार की जाती है। अत: संवर्गीय पुर्नगठन सम्बन्धी इस शासनादेश की व्यवस्था का समावेश संगत सेवा नियमावली में संशोधन के माध्यम से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे.आ.-2-507/ दस-2016, दिनांक 10-05-2016 में प्राप्त उनके सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 27/2016/(576 /16)1/7 /35-आ- 2/2001-25, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार- द्वितीय ,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2(तीन-तीन प्रतियों में)
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
5. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
6. आहरण-वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) ।
7. नियोजन (लेखा) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in